पत्र संख्या-स्था-2-विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/I/559758/2026/ राज्य कर।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र०

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक :: 22-04-2026

// आदेश //

राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 4 विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ में जीएसटी सम्बन्धित निर्धारित विषय पर दिनांक **27-04-2026 से 30-04-2026 तक टैक्स ऑडिट में तैनात संयुक्त आयुक्त एवं उपायुक्त के साथ सहायक आयुक्त का भी** प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें प्रतिभाग करने हेतु निम्न अधिकारियों को नामित किया जाता है:-

SR	EMPID	NAME	OFF_NAME	ZONE	MOBILE
1	124174	Abhilash Yadav	AC Tax / Audit , Bareilly	Bareilly	9838725354
2	124632	Akhilesh Kumar Dubey-II	AC Tax / Audit, Agra	Agra	7235002134
3	125758	Alok Kumar Yadav	AC Tax / Audit, Agra	Agra	7376364842
4	125667	Antariksha Srivastava	AC Tax / Audit , Varanasi -I	Varanasi -I	7235002971
5	125465	Ashwani Kumar Singh-II	AC Tax / Audit, Saharanpur	Saharanpur	8853433432
6	125882	Atul	AC Tax / Audit, Kanpur -II	Kanpur -II	8004490535
7	125763	Bharat Chandra Gupta	AC Tax/Audit, Ayodhya	Ayodhya	9889995517
8	125163	Charan Singh-I	AC Tax / Audit, Moradabad	Moradabad	9410871574
9	124734	Devesh Tripathi	AC Tax / Audit, Ghazibad -II	Ghaziabad -II	7007995621
10	125857	Dileep Kumar Priydarshi	AC Tax / Audit, Ghaziabad -I	Ghaziabad -I	8564947154
11	125836	Harendra Kumar-II	AC Tax / Audit, Aligarh	Aligarh	7235001372
12	124751	Mohd.Alimuddin	AC Tax / Audit , Varanasi -II	Varanasi -II	9670640727
13	125489	Nitin Kumar Maurya	AC Tax / Audit, Lucknow -II	Lucknow -II	9451377007
14	124743	Praveen Singh	AC Tax/Audit, Noida	G B Nagar	9628445000
15	125672	Rajeev Mishra	AC Tax / Audit, Ghaziabad -I	Ghaziabad -I	9450049481
16	125707	Ramesh Kumar Pandey	AC Tax / Audit , Varanasi -I	Varanasi -I	9792676701
17	125885	Ravi Kant-III	AC Tax / Audit , Kanpur -I	Kanpur -I	7398031177
18	124618	Santosh Kumar-VI	AC Tax / Audit, Gorakhpur	Gorakhpur	9336137611
19	125725	Shailendra Kumar Singh-III	AC Tax / Audit, Etawah	Etawah	6394815905
20	125666	Sunil Kumar Ojha	AC Tax / Audit, Etawah	Etawah	9415347940
21	124078	Sunil Prakash	AC Tax / Audit, Meerut	Meerut	7706971372
22	125095	Sushil Kumar Gautam-III	AC Tax / Audit, Jhansi	Jhansi	9453229253
23	124171	Veerendra Lal	AC Tax/Audit, Prayagraj	Prayagraj	9451842531
24	125484	Vinay Yadav	AC Tax / Audit, Lucknow -I	Lucknow -I	9891620677

नोट-अन्तिम प्रशिक्षण दिवस पर दिये गये प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे अधिकारियो को परीक्षा देनी होगी एवं उक्त परीक्षा में प्राप्त अंक का उल्लेख अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली पर रखने एवं वार्षिक प्रविष्टि के मूल्यांकन हेतु विचार किया जायेगा।

प्रशिक्षण में नामित अधिकारी की उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के नामित अधिकारी की उपस्थिति दिनांक 27-04-2026 से मान्य होगी। **उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 4 विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ के कार्यालय में प्रत्येक दशा में**

उक्तानुसार प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा ।

नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती / सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगें। **अधिकारियों के अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार है:-**

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं प्रातः 9 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरांत किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी अधिकारी को अनुमति नहीं होगी ।
- अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें ।
- संस्थान में अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक/शालीन पहनावे में रहना होगा ।
- अधिकारियों के खान-पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेगी। मेस में भोजन का व्यय अधिकारियों को वहन करना होगा। हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना / मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु सामग्री लाना वर्जित होगा।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन अधिकारियों के पास मोबाईल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षण कार्यकम की अवधि में अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा ।
- प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्यालय के आदेश सं० 4905 दि० 15.03.2018 के प्रस्तर 'ग' के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, राज्य कर अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात अधिकारी को अपने स्तर से भी नामित करने का कष्ट करें।

5. संयुक्त आयुक्त (आइ०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. संबन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIMS MODULE पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(श्रीहरि मिश्रा)
संयुक्त आयुक्त(स्था0राज0)
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।